भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4009

(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947(शक) को दिया जाना है)

एफएसडीसी साइबर प्रत्यास्थता ढांचा

4009. श्री टी.एम. सेल्वागणपति

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद (एफएसडीसी) ने वित्तीय क्षेत्र के साइबर प्रत्यास्थता ढांचे को बढ़ाने के विभिन्न तरीकों की जांच की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एफएसडीसी साइबर प्रत्यास्थता ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय क्षेत्र-विशिष्ट साइबर सुरक्षा के माध्यम से एक कार्यनीति पर विचार कर रहा है;

(ग) क्या एफएसडीसी वित्तीय क्षेत्र में दावा न की गई आस्तियों की मात्रा में कमी लाने पर भी विचार कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफएसडीसी का अनुपालन बोझ को कम करने और प्रक्रिया को सरल बनाने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ) वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-विनियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु तंत्र को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) को शीर्ष स्तरीय फोरम के रूप में स्थापित किया गया है जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसके सदस्यों में विभिन्न वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रमुख और विभिन्न संबंधित विभागों जैसे आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग, राजस्व विभाग, आदि के सचिव शामिल होते हैं।

इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, एफएसडीसी की पिछली बैठक में वित्तीय क्षेत्र की साइबर रेजिलिएंस को सुदृढ़ करने, अदावाकृत आस्तियों में कमी लाने और अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

*****